

अध्याय-III
वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय - III

वित्तीय रिपोर्टिंग

उचित तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक सहज आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमुख रूप से राज्य सरकार द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन में योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमावली, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता तथा गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन तथा नियंत्रणों पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी और परिचालनात्मक हो, तो सामरिक योजना बनाने तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल सुप्रबंधकता प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता करते हैं।

3.1 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारतीय संविधान की धारा 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के लेखों के फॉर्म निर्धारित कर सकता है। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 2018-19 में इन लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया तथा इसकी कमियों को नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अनुपालन/कमी
1	आईजीएएस 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियां- प्रकटन आवश्यकताएं	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखाओं के विवरण 9 तथा 20)	वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि, गारंटियों में वृद्धि, विलोप जैसी विस्तृत सूचना, प्रत्येक संस्थान हेतु गारंटियों के क्षेत्र तथा वर्ग को प्रस्तुत किए गए परन्तु प्रत्येक संस्थान के लिए गारंटियों की संख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

2	आईजीएस 2: <i>सहायता अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण</i>	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखाओं का विवरण 10)	(i) राजस्व खंड के अंतर्गत वर्गीकृत की जाने वाली कुछ सहायता अनुदानों को पूंजीगत खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है (ii) राज्य सरकार द्वारा संवेदनापूर्ण दी गई सहायता अनुदानों के संदर्भ में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2019)।
3	आईजीएस 3: <i>सरकारों द्वारा निष्पादित ऋण एवं अग्रिम</i>	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखाओं का विवरण 18)	राज्य सरकार द्वारा बकायों तथा उस पर उपार्जित ब्याज की वसूलियों के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए।

(स्रोत: भारत सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखें)

3.2 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन

जम्मू एवं कश्मीर वित्त संहिता खण्ड-1 के पैरा 7.10 के अनुसार, ऐसे बिल जिन्हें भुगतान के पश्चात् प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है, को संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों पर अग्रिम भुगतान के रूप में आहरित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारियों को उस आगामी माह के अन्त तक डीसी बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें नियंत्रण अधिकारी के लिए एसी बिल को आहरित किया जाता है तथा नियंत्रण अधिकारी को इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर महालेखाकार को प्रतिहस्ताक्षरित रूप में इसे प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(i) इसके विपरीत, 31 जनवरी 2019 तक विभिन्न आहरण तथा वितरण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखा. एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर को एसी बिलों पर आहरित 2,257 बिलों के अन्तर्गत ₹5,178.56 करोड़ (**परिशिष्ट 3.1**) की कुल राशि के प्रति तदनुसूची डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे। शेष 2,257 एसी बिलों में से, ₹1,159.89 करोड़ के 1,840 बिल 2016-17 से संबंधित है, ₹1,306.35 करोड़ के 144 बिल 2017-18 से संबंधित है तथा ₹2,712.32 करोड़ के शेष 273 बिल वर्ष 2018-19 से संबंधित है। अधिकतर डीसी बिल निम्नलिखित विभागों से प्रतीक्षित थे (मार्च 2019) जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: विभागों से प्रतीक्षित डीसी बिल

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
01	शिक्षा विभाग	2,420.23	46.74
02	ग्रामीण विकास विभाग	925.92	17.87
03	राजस्व विभाग	211.80	4.09
04	चिकित्सा विभाग	161.23	3.11
05	गृह विभाग	221.31	4.27
06	कृषि विभाग	321.58	6.21
07	उद्योग विभाग	142.64	2.75

(स्रोत: वित्त लेखें)

(ii) इसके अलावा, 2018-19 के दौरान ₹3,105.63 करोड़ की राशि के 268 एसी बिलों को आहरित किया गया था जिसमें से केवल मार्च 2019 में ₹1,003.82 करोड़ (32.32 प्रतिशत) की राशि के 93 एसी बिल आहरित किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹691.03 करोड़ (22.25 प्रतिशत) की राशि के 50 एसी बिलों को आहरित किया गया था। मार्च 2019 में आहरित ₹1,003.82 करोड़ की राशि के 93 एसी बिलों में से शिक्षा विभाग द्वारा ₹356.26 करोड़ (35.49 प्रतिशत) के 23 बिल, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ₹411.80 (41.02 प्रतिशत) के 16 बिल, गृह विभाग द्वारा ₹108.56 करोड़ के 11 बिल, योजना विभाग द्वारा ₹61.48 करोड़ के 15 बिल, उद्योग विभाग द्वारा ₹33.20 करोड़ के 10 बिल, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ₹19.61 करोड़ के 08 बिल, कृषि विभाग के लिए ₹12.12 करोड़ के 04 बिल, राजस्व विभाग द्वारा ₹0.04 करोड़ के लिए 02 बिल, पर्यटन विभाग द्वारा ₹0.15 के लिए 01 बिल, विधि विभाग द्वारा ₹0.12 करोड़ के 01 बिल, वित्त विभाग द्वारा ₹0.23 करोड़ के लिए 01 बिल, तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा ₹0.25 करोड़ के लिए 01 बिल आहरित किए गए थे। मार्च में एसी बिलों के प्रति व्यय यह दर्शाता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट प्रावधानों को व्यय करने के लिए थे तथा इससे अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का पता चलता है।

मामलों को समय-समय पर निरंतर सरकार/ वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया है। राज्य वित्त विभाग द्वारा इस संदर्भ में निर्देश जारी होने के बावजूद, डीडीओ ने महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को लंबित डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए।

आहरित अग्रिमो को लेखाबद्ध न करने की स्थिति ने अपव्यय/दुरुपयोग/अपकरण आदि की संभावना को बढ़ावा दिया है। सरकार मौजूदा नियमावली के अंतर्गत **आवश्यकतानुसार** अनुबंधित अवधि के भीतर आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

3.3 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

ऐसे स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण जिनके पास स्वयं के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, की वित्तीय रूप से सहायता सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किए जाने के लिए सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करके की जाती है। राज्य द्वारा स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों को 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्रदान की गई जीआईए की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.3: राज्य द्वारा स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों को प्रदान किया गया सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निकाय/ प्राधिकरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	श्रीनगर नगर निगम	161.16	158.18	285.02	108.47	108.53
2	जम्मू नगर निगम	108.64	98.54	134.49	163.42	73.80
3	शहरी स्थानीय निकाय (कश्मीर)	87.36	56.03	1.95	105.17	61.63
4	शहरी स्थानीय निकाय (जम्मू)	62.94	76.65	69.61	76.29	46.00
5	एसकेयूएसटी* - कश्मीर	100.54	132.18	166.75	94.62	228.60
6	एसकेयूएसटी* - जम्मू	59.48	54.61	81.00	146.38	101.00
7	कश्मीर विश्वविद्यालय	114.67	156.80	145.84	160.00	211.00
8	जम्मू विश्वविद्यालय	76.14	85.80	124.00	137.00	158.94

9	जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद	16.93	19.52	24.55	33.65	34.87
10	जम्मू एवं कश्मीर कला एवं संस्कृति अकादमी	17.16	15.18	23.97	24.29	18.67
11	प्रबंधन तथा लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)	10.47	10.13	12.14	13.70	16.50
12	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	7.48	17.47	13.11	18.00	23.00
13	अन्य	446.28	641.59	646.72	1,673.12	2,243.04
	कुल	1,269.25	1,522.68	1,729.15	2,754.11	3,325.58

*शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/कश्मीर
(स्रोत: वित्त लेखें)

वित्तीय नियमावली यह प्रावधान करती है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान पाने वालों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त किया जाना चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात् अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो इन्हें उनकी संस्वीकृति की तिथि से 18 माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

2018-19 के अन्त तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति:

31 मार्च 2019 तक स्थिति

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
	मदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	822	2,709.41
2017-18	548	3,263.58
2018-19	404	2,246.91
कुल	1,774	8,219.90

(स्रोत: वित्त लेखें)

31 मार्च 2019 तक ₹8,219.90 करोड़ के कुल 1,774 यूसी बकाया थे। बकाया 1,774 यूसी में से ₹2,246.91 करोड़ के 404 यूसी एक वर्ष से भी अधिक लंबित थे तथा ₹3,263.58 करोड़ की राशि के 548 यूसी दो वर्षों से भी अधिक लंबित थे। अधिकतर बकाया यूसी शिक्षा विभाग (₹4,741.49 करोड़), आवास तथा शहरी विभाग (₹1,137.64 करोड़), कृषि विभाग (₹679.42 करोड़), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (₹344.09 करोड़) तथा पर्यटन विभाग (₹239.71 करोड़) से प्रतीक्षित है।

यूसी के गैर-प्रस्तुतीकरण का परिणाम इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि धन को वास्तव में अभीष्ट प्रयोजन हेतु व्यय किया गया था। यूसी का अधिक लम्बन निधियों के गलत विनियोजन तथा धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। राज्य सरकार इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यूसी के अधिक लम्बन के साथ विभागों को अधिक अनुदान देना जारी रखना चाहिए या नहीं।

3.4 वार्षिक लेखाओं की गैर-प्रस्तुति / विलम्ब से प्रस्तुति होना

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) को 55 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन स्वायत्त निकायों से कुल 821 वार्षिक लेखें प्रतीक्षित थे जैसा कि 31 मार्च 2019 तक में विवरण दिया गया है (परिशिष्ट 3.2)। लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति हेतु बार-बार इन निकायों के साथ मामलों पर चर्चा की गई है।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं की सत्यापन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19 (3) तथा 20 (1) के अंतर्गत की जाती है। उक्त धारा के अनुसार लेखापरीक्षा सीमा के अन्तर्गत आने वाली एबी को प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखें प्रस्तुत करना आवश्यक है। दस स्वायत्त निकायों के संदर्भ में, 84 निकाय जिन्हें सीएंडएजी को वार्षिक लेखें देने थे, एक से 24 वर्षों के बीच की अवधि में प्रस्तुत नहीं किए गए थे जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 3.5: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतिकरण

(₹ करोड़ में)

निकाय/ प्राधिकरण का नाम	वर्षों में विलंब	लेखाओं की संख्या	2018-19 के दौरान अनुदान
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह (एलएएचडीसी-एल)	1-24	24	546.24
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल (एलएएचडीसी-के)	1-16	16	597.95
क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	1-10	10	शून्य
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएसटी) श्रीनगर, कश्मीर	1-09	09	228.60
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएसटी) जम्मू	1-03	03	101.00
ईपीएफ बोर्ड श्रीनगर	1-04	04	शून्य
जम्मू एवं कश्मीर राज्य आवास बोर्ड	1-07	07	शून्य
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी)	1-04	04	23.00
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	1-06	06	शून्य
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)	1-01	01	12.48
कुल		84	

भारत के सीएजी को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह तथा एलएएचडीसी, कारगिल की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। एलएएचडीसी, लेह अपने आरंभ अर्थात् 1995-96 से लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं को प्रस्तुत करने में विफल रहा है तथापि, परिषद को पर्याप्त राशि जारी की जा रही है तथा वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त शेष को राज्य के लोक लेखें में गैर-व्यपगत निधि में जमा किया जाता रहा है। यही स्थिति एलएएचडीसी, कारगिल के संबंध में भी है जो वर्ष 2004-05 से अस्तित्व में आया तथा इसके आरंभ से ही लेखें बकाया है। क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) ने भी अपने आरंभ अर्थात् नवम्बर 2009 से लेखापरीक्षा हेतु लेखें प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसी प्रकार, एसकेयूएसटी,

कश्मीर, एसकेयूएसटी, जम्मू, ईपीएफ बोर्ड, श्रीनगर, केवीआईबी, बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी तथा एसएलएसए ने भी एक से नौ वर्षों की अवधि हेतु लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखें प्रस्तुत नहीं किए हैं।

राज्य बजट से पर्याप्त निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण/ विलंब से प्रस्तुत करना वर्षों से विद्यमान एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस गैर-अनुपालन के संदर्भ में, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखें अभी तक राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जैसा कि उन संविधियों के अंतर्गत आवश्यक है जिनके अन्तर्गत इन निकायों को सृजित किया गया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब/ बकायों में पता न लगने वाली वित्तीय अनियमितताओं से जोखिम होता है तथा यह धोखाधड़ी और गलत विनियोजन की संभावना बनाते हैं। इसने राज्य विधानमंडल को उनके कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर फीडबैक प्राप्त करने के अवसर से भी वंचित किया है।

सरकार समय पर लेखाओं के तैयार करने तथा विधानमंडल को प्रस्तुत करने हेतु निकायों के साथ मामले पर चर्चा कर सकती है।

3.5 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

वाणिज्यिक प्रकार के कार्यकलापों को करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों को वार्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में *प्रोफार्मा* लेखें तैयार करना आवश्यक है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम लेखें उनकी संपूर्ण वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यवसाय करने की कुशलता को परिलक्षित करते हैं। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार के निवेश, सुधारात्मक उपायों में यदि कुछ आवश्यक हो, तो उसे समय पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विलंब धोखाधड़ी और लोक धन की लीकेज के जोखिम से भरा है।

सरकारी विभागों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपक्रम ऐसे लेखें तैयार करे तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए निर्दिष्ट समय सीमा में महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत करें। सरकार के ऐसे दो विभागीय उपक्रम हैं: (क) राजकीय मुद्रणालय, श्रीनगर एवं जम्मू तथा (ख) उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)। इन दोनों उपक्रमों के वाणिज्यिक परिचालनों के *प्रोफार्मा* लेखें बकाया हैं। दो राजकीय मुद्रणालयों ने 1968-69 से 2018-19 तक अपने *प्रोफार्मा* लेखें नहीं बनाए हैं (जुलाई 2019)। कश्मीर एवं लद्दाख डिवीजन में, विभागीय रूप से चल रही पीडीएस शॉप के साथ-साथ फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) द्वारा अर्थात् विभागीय शॉप के माध्यम से

55 प्रतिशत तथा एफपीएस के माध्यम से 45 प्रतिशत तक पीडीएस परिचालन किए गए हैं। इन दो डिविजनों में 1975-76 से 2018-19 (जुलाई 2019) तक प्रोफार्मा लेखें नहीं बनाए गए हैं। जम्मू डिविजन में, पीडीएस परिचालन मुख्य रूप से निजी डीलरों के नेटवर्क (लगभग 91 प्रतिशत) के माध्यम से है तथा 1973-74 से 1997-98 तक तथा 1999-2000 से 2018-19 तक प्रोफार्मा लेखें नहीं बनाए गए हैं। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रोफार्मा लेखाओं की तैयारी की मूल आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन की वजह से, वित्तीय रिपोर्टिंग यथार्थ तथा विश्वसनीय नहीं हो सकती।

राज्य में पीएसयू के प्रोफार्मा लेखाओं की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-3.3 में दी गई है। 24 पीएसयू में से 20 पीएसयू के लेखें 1 से 21 वर्षों के की अवधि के बीच अंतिम रूप देने के लिए लंबित थे। लेखाओं को अंतिम रूप देने हेतु कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.6 सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/ अन्य व्यय को केवल तभी परिचालित करने पर विचार किया जाता है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। बजटीय तथा लेखांकन हेतु लघु शीर्ष 800 का दैनिक परिचालन व्यय अथवा राजस्व इसके उपयुक्त उद्देश्य के लिए प्राप्ति/ व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किए बिना अपारदर्शिता लेखें प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹51,230.71 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 8.24 प्रतिशत लेखाओं के 35 राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4,220.87 करोड़ [₹3,246.49 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों को सम्मिलित करते हुए (₹2,033 करोड़ उपभोक्ताओं से वसूल, विद्युत विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 2801-“विद्युत” के अंतर्गत विद्युत बिक्री के कारण ₹1,200 करोड़ की सहायिकी का डेबिट, तथा ₹13.26 करोड़ की विविध विद्युत प्राप्तियों को दर्शाता है) जिसके लिए मुख्य तथा लघु शीर्षों के अंतर्गत कोई उपयुक्त लघु शीर्ष निर्धारित नहीं है] को लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियों’ के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, ₹64,503.55 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 5.68 प्रतिशत बनाते हुए 55 मुख्य लेखाओं के शीर्षों के अंतर्गत ₹3,662.17 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किया गया था। लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक बड़ी राशियों का वर्गीकरण लेखाओं की सही स्थिति नहीं दर्शाता है।

सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशियों तथा हुए व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय तथा 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत मुख्य योजनाओं की प्राप्तियों

तथा व्यय को एकत्र करने के बजाय अधिक स्पष्टता के लिए दर्शाने पर विचार कर सकती है।

3.7 ठेकेदारों को बकाया देयताएं

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य की ₹4,041.11 करोड़ की प्रतिबद्ध देयता में (₹2,098.06 करोड़ 2017-18 में) मुख्य निर्माण कार्य तथा ठेके (₹319.63 करोड़), भूमि अधिग्रहण प्रभार (₹2,514.98 करोड़) तथा कार्यो/ आपूर्ति पर (₹1,206.50 करोड़) के अदत्त बिल सम्मिलित है। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की देयताओं में ₹1,943.05 करोड़ की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा निधियों का प्रावधान किए बिना ठेकेदार द्वारा कार्य करवा रही है तथा ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा इस प्रकार, इसके फलस्वरूप इस लेखा पर देयता का सृजन हुआ।

3.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गए मुद्दों के लिए कार्यकारिणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति (पीएसी)/सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू), कृत कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) को प्रस्तुत करने के लिए इस बात पर ध्यान न देते हुए कि इन समितियों द्वारा इन पर चर्चा की जा रही है या नहीं, प्रशासनिक विभागों को जून 1997 में निर्देश जारी किए थे। इन एटीएन को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधिवत रूप से पुनरीक्षित करके इन समितियों को प्रस्तुत किया जाना है।

राज्य वित्त (एसएफआर) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को 2008-09 से बनाया जा रहा है तथा वर्ष 2015-16 तक के प्रतिवेदनों को अन्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जा चुका है। इन प्रतिवेदनो पर पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को 06 अप्रैल 2018 को अग्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि राज्य 20 जून 2018 से राज्यपाल/ राष्ट्रपति शासन के अधीन है। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो को संसद में प्रस्तुतीकरण के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित कर दिया गया है ।

